

**तीस्ता - IV जलविद्युत परियोजना (520 मेगावाट)
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट**

सितंबर 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना (520 मेगावाट)
2	परियोजना का प्रकार	जल-विद्युत परियोजना (रन आफ द रिवर स्कीम)
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	क) सं. जे-12011/67/2008-आईए-1, दिनांक 09.01.2014 (संशोधित पत्र सं. जे-12011/67/2008-आईए-1 (आर) पीटी., दिनांक 17.09.2019 ख) एफ. संख्या 8-65/2011-एफसी, दिनांक 26.02.2013
4	स्थान क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	ज़िला मंगन सिक्किम 27° 28' 50" उ° (बाँध स्थल); 27° 25' 00" उ° (विद्युत गृह स्थल) 88° 31' 23" पू° (बाँध स्थल); 88° 30' 35" पू° (विद्युत गृह स्थल)
5	पत्र-व्यवहार का पता: क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फ़ैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फ़ैक्स नम्बर सहित)	ग्रुप महाप्रबन्धक तीस्ता - IV जलविद्युत परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, बालूटार, पी. ओ. सिंगताम, ज़िला गंगटोक -737134 (सिक्किम) फ़ोन : 03592-247226 (कार्यालय) फ़ैक्स : 03592-247227 कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन), एनएचपीसी कार्यालय परिसर, एनएचपीसी लिमिटेड, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 फ़ोन : 0129-2278014 इ-मेल आईडी : envdivmgn-co@nhpc.nic.in
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	प्रमुख पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएँ निम्नलिखित हैं : <ul style="list-style-type: none"> • जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, • जैवविविधता प्रबंधन योजना, • मात्स्यिकी प्रबंधन योजना, • जन स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, • डम्पिंग स्थलों का पुनरुद्धार, • अपशिष्ट प्रबंधन, • भूदृश्य निर्माण तथा निर्माण स्थलों एवं खदान क्षेत्रों का पुनरुद्धार, • ईंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय, • हरित पट्टी विकास योजना, • जलाशय परिधि उपचार योजना, • वायु, ध्वनि तथा जल की गुणवत्ता संबंधी प्रबंधन योजना, • प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना, • आपदा प्रबंधन योजना तथा • पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम ।

7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)	क्षेत्र का विवरण (in ha)	वन क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
		जलमग्न क्षेत्र	68.82	36.54	105.36
		अन्य	74.67	141.28	215.95
		कुल भूमि:	143.49	177.82	321.31
	क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)	जलमग्न क्षेत्र: 105.36 हैक्टेअर 68.82 हैक्टेअर वन भूमि 36.54 हैक्टेअर गैर-वन भूमि			
	ख) अन्य	अन्य: 215.95 हैक्टेअर 74.67 हैक्टेअर वन भूमि (जिसमें 14.40 हैक्टेअर भूमिगत वन भूमि शामिल है) और 141.28* हैक्टेअर गैर-वन भूमि * सिविकम सरकार गजेट संख्या 384 दिनांक 31.12.2021 में RFCTLARR अधिनियम, 2013 के सेक्शन 11(1) के अंतर्गत प्रकाशित प्राथमिक नोटिफिकेशन के अनुसार			
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण	जिन परिवारों ने घर और भूमि खो दी है, उनकी संख्या	7(सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)		
		जिन परिवारों ने केवल भूमि खो दी है, उनकी संख्या	275 (आर आर यूनिट - 802) (सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)		
	क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी	क) अनु.जा.- 01 तथा अनु.ज.ज. - 227			
	ख) अन्य	ख) ओबीसी - 01 तथा अन्य जाति - 05 (234 सर्वेक्षित परिवारों में - सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)			
9	वित्तीय ब्यौरा	₹ 3594.74 करोड़ (जुलाई, 2009 मूल्य स्तर पर) ₹ 6113.21 करोड़ (अप्रैल, 2021 मूल्य स्तर पर)			
	क) परियोजना की लागत, जैसाकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष				
	ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	निवेश पूर्व प्रक्रियाओं पर हुआ खर्च: ₹ 265.10 करोड़ (लगभग) (30 सितंबर, 2022 तक)			
	ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन	(i) ₹ 7265.66 लाख रुपये (डीपीआर) (ii) ₹ 5653.18 लाख रुपये (अनुमोदित ईएमपी के अनुसार) आरएण्डआर योजना की लागत रुपये 2823.30 लाख को छोड़कर । सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में आरएण्डआर योजना के लिए रुपये 12270.95 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है ।			
	घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	शून्य । यद्यपि कंपेन्सेटरी लेवी के रूप में सिविकम कैम्पा / राज्य वन विभाग में जनवरी 2018 में रुपए 50.53 करोड़ जमा किए गए हैं । परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।			
10	वन भूमि की आवश्यकताएं				
	क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पत्र दिनांक 26.02.2013 के द्वारा 143.49 हैक्टेअर वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन स्वीकृति (चरण-I) प्रदान की है जिसमें भूमिगत निर्माण-कार्यों के लिए 14.40 हैक्टेअर भूमि शामिल है ।			

		पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पत्र दिनांक 05.02.2019 के द्वारा पुनः कुछ प्रेक्षण मुख्यतः वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना पर प्रस्तुत किए गए हैं। जिसमें ग्राम पंचायत इकाइयों (जीपीयू) से सहमति प्राप्त करने और दावों के निपटान के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा ग्राम सभा आयोजित करने की आवश्यकता होती है, जो राज्य वन विभाग तथा जिला प्रशासन, उत्तर जिला में विचारधीन है।
	ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	शून्य परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई)	क) परियोजना को वन स्वीकृति (चरण-II) तथा निवेश हेतु अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है अतएव परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। ख) परियोजना की निर्माण अवधि सीसीईए स्वीकृति से 72 महीने है।
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है	क) वन स्वीकृति (चरण-II) लंबित है। ख) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के अनुसार निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) निगरानी समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	निगरानी समिति की संस्थापना निवेश अनुमोदन / सीसीईए स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात की जाएगी।
14	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	सीसीईए स्वीकृति होने के पश्चात परियोजना निर्माण गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

--xx--